(13)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/रायसेन/भू.रा./2017/4363 विरूद्ध आदेश दिनांक 27-9-2017 पारित द्वारा अपर आयुक्त, भोपाल संभाग भोपाल प्रकरण क्रमांक 356/अपील/2013-14.

माजदा बी बेवा नईमउद्दीन
कृषक ग्राम मालझिर तहसील बाड़ी
निवासी ग्राम बकतरा
तहसील बुदनी जिला सीहोर .....आवेदिका

विरूद्ध

1. जमालउद्दीन पुत्र स्व. श्री सलामउद्दीन
2. कमालउद्दीन पुत्र स्व. श्री सलामउद्दीन
3. बबलू खां पुत्र स्व. श्री सलामउद्दीन
4. असलम खां पुत्र स्व. श्री सलामउद्दीन
5. सहाउद्दीन पुत्र स्व. श्री सलामउद्दीन
   निवासीगण ग्राम मालझिर
   तहसील बाड़ी जिला रायसेन
6. इशरत जहां पत्नी मोहम्मद शफीक खां
   पुत्री स्व. श्री सलामउद्दीन
   निवासी सिवनी सुल्तानपुर
   तहसील गौहरगंज जिला रायसेन
7. नुशरत जहां पत्नी स्व. श्री बहादुर खां
   पुत्री स्व. श्री सलामउद्दीन
   निवासी नया मोहल्ला, शाहगंज
   तहसील बुदनी जिला सीहोर
8. फरहद जहां पत्नी शफीक खां
   पुत्री स्व. श्री सलामउद्दीन
   निवासी बकतरा
   तहसील बुदनी जिला सीहोर
9. नूर जहां पत्नी शिब्बू खां
   पुत्री स्व. श्री सलामउद्दीन
   निवासी शाहगंज
   तहसील बुदनी जिला सीहोर

10. किश्वर जहां पत्नी शराफत खां
पुत्री स्व. श्री सलामउद्दीन
निवासी समनापुर (काछी)
तहसील बाड़ी जिला रायसेन
11. बलजीत सिंह फोगाट जाट
पुत्र करन सिंह फोगाट जाट (आपत्तिकर्ता)
निवासी 33-बी, शिव पैलेस, खजूरीकला रोड
पिपलानी, तहसील हुजूर जिला भोपाल
12. बलवान सिंह पुत्र बाबूलाल
निवासी ग्राम मालझिर
तहसील बाड़ी जिला रायसेन

.....अनावेदकगण

श्री मेहरवान सिंह, अभिभाषक, आवेदिका
श्री धीरेन्द्र मिश्रा, अभिभाषक, अनावेदक क्रमांक 1 से 11

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 13/2/19 को पारित)

आवेदिका द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 27-9-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक क्रमांक 3 बबलू खां द्वारा तहसीलदार, तहसील बाड़ी जिला रायसेन के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि उसके बड़े पिता अब्दुल हकीम द्वारा ग्राम मालझिर स्थित उसके भूमिस्वामी स्वत्व की खसरा क्रमांक 11/1 रकबा 6.62 एकड़ भूमि के संबंध में अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 5 एवं अनीजा बी के नाम शपथ पत्र के माध्यम से हिबा किया गया है । अत: प्रश्नाधीन भूमि पर संयुक्त रूप से राजस्व अभिलेख में उनका नाम दर्ज किया जाये । नायब तहसीलदार टप्पा भारकच्छ तहसील बाड़ी द्वारा प्रकरण क्रमांक 324/ए-6/2008-09 दर्ज कर दिनांक 31-10-2009 को अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 5 व अनीजा बी के नाम नामांतरण आदेश पारित किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश से व्यथित होकर आवेदिका द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, बरेली के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण क्रमांक 83/अपील/09-10 दर्ज कर दिनांक 1-4-13 को आदेश पारित कर अपील स्वीकार की गई । तदोपरान्त उक्त आदेश का गलत आशय निकालकर पटवारी अभिलेख में आवेदिका का नाम प्रश्नाधीन भूमि में दर्ज किये जाने की कार्यवाही संबंधी तथ्य संज्ञान में आने के आधार पर

अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उक्त आदेश के पुनर्विलोकन की अनुमति कलेक्टर से प्राप्त किया गया एवं दिनांक 30-4-2014 को आदेश पारित कर नायब तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 324/ए-6/2008-09 में पारित आदेश दिनांक 31-10-2009 एवं प्रश्नाधीन भूमि से संबंधित एक प्रकरण क्रमांक 148/ए-6/10-11 में पारित आदेश दिनांक 29-7-2011 यथावत रखा गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आवेदिका द्वारा आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 27-9-2017 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं:-

1. प्रथम अपीलीय न्यायालय ने विधि की घोर अवहेलना करते हुए जानबूझकर अनावेदकगण को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से आदेश उभय पक्षीय होकर अपीलीय होने के बावजूद भी अपने आदेश का पुनर्विलोकन करने में गंभीर त्रुटि की गई है, जिसकी पुष्टि अपर आयुक्त द्वारा अस्पष्ट आलोच्य आदेश द्वारा कर, विधि को नजरअंदाज किया गया है । इस तर्क के समर्थन में 1991 आर.एन. 51 का न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किया गया ।

2. तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी ने दिनांक 1-4-2013 को विधि अनुसार उभय पक्षीय आदेश पारित कर विस्तृत आदेश पारित करते हुए मूल आदेश, जिस पर कि प्रकरण आधारित है, उसकी शर्तों की जांच उपरांत ही विधि अनुसार आदेश पारित किये जाने के निर्देश दिये गये थे, के बावजूद भी तत्कालीन पीठासीन अधिकारी के संज्ञान में ऐसे कौन सा कारण आया कि अपीलीय आदेश को भी विधि विरूद्ध पुनर्विलोकन में लिए जाने की स्वीकृति लेना आवश्यक हो गया, जिसका कि उन्हें अधिकार ही नहीं था । ऐसी स्थिति में अपीलीय न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाने योग्य है । इस तर्क के समर्थन में 1986 आर.एन. 150 का न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किया गया ।

3. अनुविभागीय अधिकारी ने विस्तृत आदेश पारित किया है, जिसमें उनके द्वारा अनेकों बार अपीलें होने का उल्लेख करते हुए प्रकरण, मूल प्रकरण क्रमांक 15/बी-121/88-89 में पारित आदेश दिनांक 12-2-1990 पर आधारित होना मान्य किया है, के बावजूद भी प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध आदेश पारित किया है एवं अपर आयुक्त द्वारा अस्पष्ट आलोच्य आदेश द्वारा पुष्टि कर वाद बाहुल्यता को बढ़ावा दिया गया है । इस तर्क के समर्थन में 2014 आर.एन. 56 (उच्च न्यायालय) का न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किया गया ।

4. अनावेदकगण ने तहसील न्यायालय में जो आवेदन दिया है, उससे स्पष्ट है कि फौती नामांतरण में ही कांट-छांट कर शपथ पत्र के आधार पर नामांतरण चाहा, जिसमें हिबा का उल्लेख किया है, जबकि मुस्लिम लॉ एवं इस्लाम में मौखिक हिबा मान्य तो है लेकिन विवादित संपत्ति को हिबा योग्य ही नहीं

माना, अवैध एवं हराम माना है । यदि हिबा वैध था, तब मृत्यु का इंतजार क्यों किया गया । क्या कारण रहा कि मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन शुल्क पुनर्विलोकन स्वीकृति के समय तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी के और न वर्तमान के संज्ञान में आया और न ही द्वितीय अपीलीय न्यायालय ने इस बात को संज्ञान में लिया, यह जांच का विषय है । इस तर्क के समर्थन में 1996 आर.एन. 118 (उच्च न्यायालय) एवं 2009 आर.एन. 96 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

5. अधीनस्थ न्यायालय में अपील प्रचलन के दौरान कनीज बी बेवा सलामउद्दीन की मृत्यु हो जाने के कारण व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 22 नियम 4 का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था और वारिसान की ओर से उनके अभिभाषक की उपस्थिति के बावजूद भी आदेश में उनका उल्लेख नहीं किया गया है । ऐसी स्थिति में मृतक के शेष वारिस 5 लगायत 10 को प्रतिस्थापित किया गया है एवं अनावेदक क्रमांक 12 विक्रय पत्र के आधार पर तहसील न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था, इसलिए उसे पक्षकार बनाया गया है ।

4/ अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 11 के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं:-

1. विचारण न्यायालय ने हिबानामा, साक्षियों के बयान, शपथ पत्र, पटवारी से मौके की रिपोर्ट, प्रतिवेदन एवं कब्जे की जांच कर प्रश्नाधीन भूमि पर हिबाग्रहीतागण का नामांतरण किया गया है। अनुविभागीय अधिकारी ने विस्तृत विवेचना उपरांत आवेदिका का प्रश्नाधीन भूमि पर कोई हक व स्वत्व न बचने के कारण दिनांक 30-4-2014 को आदेश पारित कर अपील खारिज की गई है ।

2. तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण क्रमांक 15/बी-121/88-89 अब्दुल हकीम विरूद्ध श्रीमती माजदा बी में पारित आदेश दिनांक 12-2-1990 द्वारा भूमि हड़पने संबंधी कुचक्रों से परित्राण अधिनियम, 1976 के तहत पूर्व में भूमि दोनों संव्यवहारों को प्रतिबद्ध संव्यवहार मानते हुए शून्य घोषित किया गया जाकर प्रश्नाधीन भूमि पर अब्दुल हकीम का स्वत्व माना था । उक्त आदेश के विरूद्ध कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत अपील में कलेक्टर द्वारा 17-3-1992 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश यथावत रखते हुए अपील निरस्त की गई, जिसे आवेदिका द्वारा किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दिये जाने के कारण आदेश दिनांक 12-2-1990 अंतिम हो चुका है । इस तथ्य को अपर आयुक्त ने भी माना तथा इसी के आधार पर प्रकरण क्रमांक 526/अपील/2005-06 में पारित आदेश दिनांक 18-8-09 में निष्कर्ष दिया है ।

3. नामांतरण पंजी क्रमांक 10 पर प्रविष्टि दिनांक 16-1-2003 द्वारा अब्दुल हकीम के नाम नामांतरण स्वीकार किया गया, जिसके विरूद्ध अपील करने पर प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 31-5-04 के उपक्रम में नायब तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 1/अ-6/2000-01 में दिनांक 30-7-2002 को आदेश पारित किया गया है, जिसके विरूद्ध

आवेदिका द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण क्रमांक 68/अपील/03-04 में पारित आदेश दिनांक 8-6-06 द्वारा अपील निरस्त कर तहसील न्यायालय का आदेश विधिवत माना है । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील में अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण क्रमांक 526/अपील/05-06 में पारित आदेश दिनांक 18-8-2009 द्वारा तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश यथावत रखते हुए अपील निरस्त की गई है । अपर आयुक्त के उक्त आदेश के विरूद्ध राजस्व मण्डल के समक्ष निगरानी प्रस्तुत किये जाने पर राजस्व मण्डल द्वारा प्रकरण क्रमांक निगरानी 1367-पीबीआर/09 में दिनांक 30-9-2009 को आदेश पारित कर अपर आयुक्त का आदेश यथावत रखते हुए निगरानी अग्राह्य की गई है ।

4. अपर आयुक्त का आदेश अंतिम हो चुका है । आवेदिका का प्रश्नाधीन भूमि पर कोई हक व स्वत्व नहीं बचता है और अब्दुल हकीम द्वारा जो रजिस्ट्रियां आवेदिका के हक में कराई गई थीं, वह भी पूर्व में आदेश दिनांक 12-2-1990 द्वारा शून्यवत हो चुकी है । अतः आदेश दिनांक 12-2-1990 का आदेश भी अंतिम हो चुका है । अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश में सभी पूर्ववर्ती आदेशों का परीक्षण कर अत्यंत विस्तृत आदेश पारित किया गया है । सभी आदेशों के आलोक में आवेदिका का प्रश्नाधीन भूमि खसरा नम्बर 11/1 रकबा 6.62 एकड़ भूमि पर कोई हक व स्वत्व शेष नहीं बचता है ।

5. अनुविभागीय अधिकारी के पूर्व आदेश दिनांक 1-4-2013 में त्रुटिपूर्ण आशय निकाले जाने के कारण संहिता की धारा 51 के तहत कलेक्टर से अनुमति प्राप्त किया गया है एवं प्रकरण क्रमांक 83/अपील/09-10 में पारित आदेश दिनांक 1-4-2013 का वैधानिक आधार नहीं रह जाता है एवं इसी आदेश की अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई थी, जो पुनर्विलोकन की अनुमति के फलस्वरूप अपील प्रकरणों को वापिस ले लिया गया है । अतः आदेश दिनांक 1-4-2013 का कोई वैधानिक आधार नहीं रह जाता है । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 30-4-2014 के विरूद्ध अपर आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई थी, जो आदेश दिनांक 27-9-2017 द्वारा निरस्त की गई है और अपर आयुक्त के विरूद्ध प्रस्तुत यह निगरानी औचित्यहीन होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

5/ अनावेदक क्रमांक 12 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

6/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । आवेदिका ने स्वयं स्वीकार किया है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 12-2-90 अन्तिम हो चुका है । उक्त आदेश द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदिका का हक, स्वत्व एवं अधिकार समाप्त हो गये थे, इसलिए आवेदिका को प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में होने वाली अन्य सभी उत्तरोतर नामांतरण कार्यवाहियों को चुनौती देने का कोई अधिकार ही बाकी नहीं रहता है । उपरोक्त स्थिति में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा आवेदिका की अपीलें निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई

इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालयों के विधिसंगत समवर्ती निष्कर्ष हैं, जिनमें कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । इस संबंध में 1982 आर.एन. 36 रामाधार विरूद्ध आनन्द स्वरूप तथा अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है:-

"धारा 50-समवर्ती निष्कर्ष-अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में कोई अवैधता या अनियमितता नहीं-पुनरीक्षण में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए ।"

उपरोक्त विश्लेषण एवं प्रतिपादित न्याय दृष्टांत के प्रकाश में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित विधिसंगत आदेशों में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है । दर्शित परिस्थिति में आवेदिका द्वारा प्रस्तुत तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं हैं ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 27-9-2017 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर